मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की पंचम् बैठक का आयोजन का एजेण्डा नोट

<table>
<tr><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की चतुर्थ बैठक की पुष्टि</th><th>राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय</th><th>समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या</th></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिन्दु–1</td><td>1– मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में बजट व्यवस्था रू0 2500.00 लाख में से वित्तीय वर्ष 2019–20 में 71 जनपदों की चयनित 301 ग्राम पंचायतों को निम्नानुसार रू0 2841.00 लाख पुरस्कार मद में एवं रू0 107.33 लाख प्रशासनिक मद में व्यय किया जाना प्रस्तावित हैः–
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>पुरस्कार राशि</th></tr>
<tr><td>प्रथम पुरस्कार</td><td>रू0 12 लाख</td></tr>
<tr><td>द्वितीय पुरस्कार</td><td>रू0 10 लाख</td></tr>
<tr><td>तृतीय पुरस्कार</td><td>रू0 08 लाख</td></tr>
<tr><td>चतुर्थ पुरस्कार</td><td>रू0 07 लाख</td></tr>
<tr><td>पंचम पुरस्कार</td><td>रू0 04 लाख</td></tr>
</table>
2– वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों का चयन किये जाने हेतु नवीन प्रश्नावली प्रस्तावित (प्रति संलग्न)। प्रश्नावली को कोविड महामारी तथा हरियाणा प्रदेश में संचालित 07 स्टार रैनबों स्कीम के अनुसार सूचकांक सम्मिलित किये गये हैः–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>क्षेत्र</th><th>अधिमान (100)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कोविड–19 प्रबन्धन</td><td>17</td></tr>
<tr><td>2</td><td>स्वच्छता प्रबंधन</td><td>20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पर्यावरण सुरक्षा</td><td>12</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बेहतर/उत्तम स्वशासन</td><td>18</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सामाजिक सौहार्द एवं सहभागिता</td><td>14</td></tr>
<tr><td>6</td><td>नियोजित विकास–ग्राम पंचायत विकास योजना</td><td>19</td></tr>
</table></td><td>समिति द्वारा पुरस्कार मद की धनराशि रू. 2841.00 लाख (वर्ष 2020–21 की पुरस्कार धनराशि रू. 2481 लाख तथा गत वर्ष की अवशेष धनराशि रू. 360 लाख को जोड़ते हुए) को 301 ग्राम पंचायतों में उनके प्राप्त स्थान अनुसार तथा प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 4 ग्राम पंचायत को क्रमशः रू. 01 करोड, 75 लाख, 50 लाख तथा 50 लाख की धनराशि विशिष्ट पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।</td><td>कार्यवाही पूर्ण। नवीन प्रश्नावली अनुसार वर्ष 2021–22 में पंचायतों द्वारा आवेदन किये गये हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

एजेण्डा बिन्दु	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की चतुर्थ बैठक की पुष्टि	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय	समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या

एजेण्डा बिन्दु–2

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का संक्षिप्त विवरण–

1.1 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा (दिनांक 24 अप्रैल, 2017) –"दीन दयाल पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार योजना की भांति प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रत्येक विकास की 03 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना"। इस प्रकार कुल 2463 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना था।

1.2–योजना का परिचय– वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने हेतु शासनादेश संख्या–39/2021/970/33–3–2021–212/2017 दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया।

उद्देश्य –

- पंचायतों को अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग एवं जनसामान्य के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पुरस्कृत पंचायतों के कार्यों को आदर्श मानकर अन्य ग्राम पंचायतें भी इन पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर स्वयं की प्रेरणा स्त्रोत के रूप में कार्य करेंगी।
- पंचायतों को पूर्व निर्धारित शासकीय अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिस्पर्धा जागृत कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।
- ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

1.3 मा0 मुख्यमंत्री महोदय की मूल घोषणा के क्रम में प्रदेश की 2463 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2021–22 में शासन द्वारा मात्र रू0 2500 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है। तद्क्रम में राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति की तृतीय बैठक ***दिनांक 05 मार्च, 2020 में प्रति जनपद 05 ग्राम पंचायतों (जिसमें किसी भी विकास खण्ड से 02 ग्राम पंचायत से अतिरिक्त न हो) को पुरस्कृत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी थी।***

1.4 योजनान्तर्गत गठित समितियां एवं उनके दायित्व :–

1– राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC)–

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य

एजेण्डा बिन्दु	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की चतुर्थ बैठक की पुष्टि	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय	समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या

8	विशेष सचिव, अनुभाग–1/2/3, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
9	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य सचिव
11	निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
12	अपर निदेशक/संयुक्त सचिव/उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग,उ.प्र.।	सदस्य संयोजक
13	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) के दायित्वः–

1– योजनान्तर्गत बजट व्यवस्थानुसार कुल पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या एवं पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेना।

2– पुरस्कार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार करना।

3– जनपद स्तरीय समितियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को अवरोही क्रम में तैयार कर पुरस्कार दिये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

4– पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को विभागीय वेब–साइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना।

5– राज्य/मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की समय–सारिणी एवं बजट का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।

6– पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रयासों का अभिलेखीकरण एवं मुद्रण कराना।

7– प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के व्यय संबंधी निर्णय लेना।

8– योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि के मदवार बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना।

9– योजना संबंधी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु समिति अधिकृत होगी।

2– जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC):–

क्र.	पदनाम	पद
1	जिलाधिकारी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य

एजेण्डा बिन्दु	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की चतुर्थ बैठक की पुष्टि	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय	समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या
	जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC) के दायित्वः– 1– जनपद की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के चयन हेतु रणनीति तैयार करना। 2– ग्राम पंचायतों द्वारा ऑनलाइन भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर फ्रीज करना। 3– ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु टीम का गठन कर स्थलीय सत्यापन कराना। 4– स्थलीय सत्यापन पश्चात् निश्चित समयावधि में ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति को उपलब्ध कराना। 5– सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना। 6– ऑन–लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु सचिव, ग्राम पंचायत का जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कराना। 7– जनपद स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना एवं प्रश्नावली में वर्णित प्रश्नों का विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत सचिवालयों पर वॉल पेंटिंग करायी जाये एवं अधिक से अधिक पंचायतों का योजनान्तर्गत प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। 8– पुरस्कार धनराशि सम्बंधी उपभोग प्रमाण पत्र पंचायतीराज निदेशालय को निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराना। **मा0 समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत**		
एजेण्डा बिन्दु–3	**वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री पुरस्कार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों की चयन प्रक्रिया का विवरण–**		
	शासनादेश दिनांक 25 जून 2021 में दी व्यवस्थानुसार प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 की चयन प्रक्रिया का अनुपालन निम्न प्रकार से किया गया है :– ➤ पंचायतों द्वारा ऑनलाइन आवेदन 100 अंको वाली **अनुमोदित प्रश्नावली** के माध्यम से किया गया। ➤ **दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021** के दौरान प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में से 2971 ग्राम पंचायतों द्वारा ऑनलाइन प्रश्नावली का उत्तर दिया गया, जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा 1819 ग्राम पंचायतों की प्रश्नावलियों को ऑनलाइन फ्रीज किया गया। ➤ जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC) द्वारा अपने स्तर से प्राप्त अंको के आधार पर 1009 ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कर सर्वोत्कृष्ट 380 ग्राम पंचायतों को चयनित कर राज्य स्तर पर ऑनलाइन अग्रसारित किया गया। **मा0 समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**		
एजेण्डा बिन्दु–4	**पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों के चयन पर विचार :–**		
	• शासनादेश दिनांक 25 जून, 2021 के प्रस्तर–2 सामान्य निर्देश में दी गयी व्यवस्थानुसार 74 जनपदों की **354 ग्राम पंचायतों** द्वारा **45 अंक या 45 अंक से अधिक** अंक प्राप्त किये गये है, जिनको शासनादेश में दिये गये प्राविधानानुसार पुरस्कृत किये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् हैः– • 65 जनपदों की प्रथम 05 ग्राम पंचायतें। • 03 जनपदों की प्रथम 04 ग्राम पंचायतें। (इटावा, जौनपुर एवं महोबा) • 04 जनपदों की प्रथम 03 ग्राम पंचायतें। (भदोही, मिर्जापुर, हापुड़ एवं बालिया)		

एजेण्डा बिन्दु	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की चतुर्थ बैठक की पुष्टि	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय	समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या

	• 02 जनपदों की प्रथम 02 ग्राम पंचायतें। (रायबरेली एवं सीतापुर) • जनपद–शाहजहांपुर की पंचम स्थान पर 02 पंचायतें पुरस्कृत हो रही है। • जनपद कन्नौज की एक भी ग्राम पंचायत पुरस्कार हेतु पात्र नहीं पायी गयी। **माо समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत**

एजेण्डा बिन्दु–5 बजट व प्रस्ताव

योजनान्तर्गत बजट पर चर्चा :–

चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में शासन द्वारा किये गये आय–व्ययक प्राविधान रू0 2500 लाख में चयनित ग्राम पंचायतों के पुरस्कार धनराशि एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 25 जून, 2021 के प्रस्तर–6 में प्राविधानुसार अधिकतम 05 प्रतिशत की धनराशि पुरस्कार सामारोह आयोजन एवं प्रशासनिक मद व्यय किया जा सकता है। उक्तानुसार प्राविधानित बजट धनराशि रू0 2500 लाख को पुरस्कार मद में विभाजित किया जाना प्रस्तावित है:–

पुरस्कार मद – रू० 2386.00 लाख,
प्रशासनिक मद – रू० 114.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के दृष्टिगत अवशेष प्रशासनिक मद की धनराशि बैंक खाते में उपलब्ध है:–

प्रशासनिक मद – रू० 1,03,14,186/–

उक्तानुसार रू0 2500 लाख आय–व्ययक प्राविधान है, जिसको निम्नवत् पुरस्कार एवं प्रशासनिक मद में व्यय किये जाने हेतु प्रस्तावित है :–

प्रस्ताव

चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि रू0 2386 लाख के सापेक्ष पुरस्कार स्वरूप धनराशि ग्राम पंचायतों को उनके निम्नवत् प्राप्त स्थान के अनुसार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है:–

पुरस्कार धनराशि :–

विवरण	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	रू0 11 लाख
द्वितीय पुरस्कार	रू0 09 लाख
तृतीय पुरस्कार	रू0 07 लाख
चतुर्थ पुरस्कार	रू0 04 लाख
पंचम पुरस्कार	रू0 02 लाख

इस प्रकार प्रति जनपद **रू0 33 लाख** पुरस्कार धनराशि प्रस्तावित है।

- समान अंक प्राप्त करने वाली पंचायतों में प्राप्त स्थान हेतु निर्धारित धनराशि समान रूप से विभाजित किया जाना प्रस्तावित है।
- जनपद गाजियाबाद की समस्त 7 ग्राम पंचायतों को जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा सर्वोच्च 100 अंक देते हुए फ्रीज किया गया है। उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को सम्पन्न ''उ0प्र0 ग्राम उत्कर्ष समारोह'' में जनपद से मन्तव्य प्राप्त करते हुए ग्राम पंचायत–किल्हौड़ा, विकास खण्ड–भोजपुर के ग्राम प्रधान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शेष 06 ग्राम पंचायतों को जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र संख्या–2061,

<table>
<tr><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की चतुर्थ बैठक की पुष्टि</th><th>राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय</th><th>समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">दिनांक 31.12.2021 द्वारा पुनः क्रमांकित करते हुए वि0ख0 भोजपुर की ग्रा0 पं0 चुड़ियाला को द्वितीय, वि0ख0 लोनी की ग्रा0पं0 निस्तौली को तृतीय, वि0ख0 रजापुर की ग्रा0पं0 मंसूरी को चतुर्थ एवं मसौता को पंचम स्थान पर क्रमांकित किया गया है, जिसके अनुसार ही पुरस्कार की धनराशि वितरित किया जाना प्रस्तावित है।
● इस प्रकार 74 जनपदों की 354 ग्राम पंचायतों को रू0 2386 लाख की धनराशि का शत–प्रतिशत पुरस्कार मद में व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
प्रशासनिक मद :–
विगत वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक मद की अवशेष धनराशि रू0 रू० 1,03,14,186/– तथा वर्ष 2021–22 में प्राविधानित धनराशि रू. 1,14,00,000/– इस प्रकार कुल धनराशि रू. 2,17,14,186/– वित्तीय वर्ष में निम्न गतिविधियों पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है :–
● योजनान्तर्गत दिनांक 15.12.2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम उत्कृष्ट समारोह में प्रतिभागियों के अवस्थापना (ठहरने की व्यवस्था) एवं भोजन व्यवस्था आदि पर हुए व्यय के संबंध में प्राप्त बिलों का भुगतान जोकि जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्याः–669/ए0सी0आर0ए0/ग्रा0पं0सम्मे0/2021 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के अन्तर्गत रू0 05,87,24,662/–(पांच करोड़ सतासी लाख चौबीस हजार छः सौ वासठ रूपये मात्र) को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को धनराशि हस्तान्तरित किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद मे कुल रू. 2,17,14,186/– में से रू0 02,10,00,000/– की धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ की मांग के अनुसार दिया जाना प्रस्तावित है एवं शेष धनराशि से सत्यापन दल का भुगतान, आफिस असिसटेन्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर का भुगतान का पुरस्कार वितरण समारोह में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, होर्डिंग–बैनर, समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि पर व्यय एवं अन्य अकासमिक व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
<u>मा0 समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत</u></td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिन्दु–6</td><td colspan="3">अन्य बिन्दु–अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।</td></tr>
</table>